भारत सरकार

पर्यटन मंत्रालय

लोक सभा

लिखित प्रश्न सं. 1099

सोमवार, 26 जुलाई, 2021/4 श्रावण, 1943 (शक)

को दिया जाने वाला उत्तर

प्राचीन और ऐतिहासिक स्थलों को पर्यटन स्थल के रूप में शामिल करने के मानदंड

1099. श्री ओम पवन राजेनिंबालकर:

श्री संजय जाधव:

क्या **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) किसी प्राचीन और ऐतिहासिक स्थल को पर्यटन स्थल के रूप में पर्यटन स्थलों की सूची में शामिल करने संबंधी मानदंड क्या है;

(ख) महाराष्ट्र सहित विभिन्न राज्यों में पर्यटन स्थल के रूप में शामिल किए गए प्राचीन और ऐतिहासिक स्थलों की कुल संख्या कितनी है;

(ग) क्या सरकार का उस्मानाबाद में स्थित श्री तुलजा भवानी मंदिर को सांस्कृतिक और केन्द्रीय पर्यटन स्थलों की सूची में शामिल करने का विचार है;

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसे पर्यटन स्थलों की केन्द्रीय सूची में कब तक शामिल किए जाने की संभावना है तथा यदि नहीं, तो इसके क्या करण हैं; और

(ड.) क्या श्री तुलजा भवानी मंदिर सभी मानदंडों को पूरा करता है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पर्यटन मंत्री (श्री जी. किशन रेड्डी)

(क) और (ख): पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार ने किसी स्थल को पर्यटन स्थान या पर्यटन स्थल घोषित करने के लिए कोई मानदंड निर्धारित नहीं किए हैं। कोई भी स्थल, जो पर्यटकों को आकर्षित करता है या आकर्षित करने की क्षमता रखता है, चाहे वह तीर्थ स्थल हो, ऐतिहासिक या सांस्कृतिक स्थल हो, या वन्य जीवन, निरोगता, रोमांच आदि से संबंधित स्थान हो, पर्यटन स्थल/स्थान कहलाता है।

संस्कृति मंत्रालय (भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण) कुछ स्थलों को संरक्षित स्थलों के रूप में अधिसूचित करता है और उनके नवीकरण और संरक्षण का कार्य करता है। इसी प्रकार, संबंधित राज्य सरकारें राज्य संरक्षित विरासत स्मारकों/स्थलों की अपनी सूची स्वयं अधिसूचित करती हैं।

(ग) से (ड.): वर्तमान में, इस तरह का कोई प्रस्ताव मंत्रालय के विचाराधीन नहीं है।

पर्यटन के विकास और संवर्धन की जिम्मेदारी मुख्य रूप से राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन की है। पर्यटन मंत्रालय, स्वदेश दर्शन और प्रशाद (तीर्थयात्रा जीर्णोद्धार और आध्यात्मिक, विरासत संवर्धन अभियान) की योजना के तहत राज्य सरकार/केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन को उनके परामर्श से पर्यटन बुनियादी ढांचे के विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है। इन योजनाओं के तहत परियोजनाओं को धन की उपलब्धता, उपयुक्त विस्तृत परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत करने, योजना दिशानिर्देशों का पालन करने और पहले जारी की गई धनराशि के उपयोग आदि के अधीन स्वीकृत किया जाता है। इन योजनाओं के तहत परियोजनाओं की मंजूरी एक सतत प्रक्रिया है।

****